

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर 2019—अग्रहायण 6, शक 1941

वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. एफ 2702-3047-2019-ई-चार.— दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त को उनके अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, धारा 30 के प्रावधानों को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 2703-3047-2019-ई-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2702-3047-2019-ई-चार, भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th November 2019

No. F 2702-3047-2019-E-IV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioners in the State as Competent Authority within their jurisdiction for the purposes of the said Act, except for section 30 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MANOJ GOVIL, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. एफ 2704-3047-2019-ई-चार.— दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा तत्काल प्रभाव से, भारसाधक सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन को इस अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 2705-3047-2019-ई-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2704-3047-2019-ई-चार, भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th November 2019

No. F 2704-3047-2019-E-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, hereby, appoints In-charge Secretary to the Government of Madhya Pradesh in the Home Department as Competent Authority for the purposes of section 30 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MANOJ GOVIL, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. एफ 2700-3047-2019-ई-चार.— दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा तत्काल प्रभाव से, सक्षम प्राधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सहायता करने के लिये प्रत्येक जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 2701-3047-2019-ई-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2700-3047-2019-ई-चार, भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th November 2019

No. F 2700-3047-2019-E-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, hereby, appoints Additional Collectors within their respective jurisdictions to assist the Competent Authority in discharging its functions for the purposes of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MANOJ GOVIL, Principal Secy.